न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228487 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :–72 / 2023
प्रकरण दायर दिनांकः– 06.06.2023
प्रकरण निर्णय दिनांकः– 22.01.2025

उनवान– 1. सुमन देवी पत्नी कालूसिंह जाति गुर्जर निवासी सुमेलकलां तह. बांदीकुई जिला दौसा
2. बच्ची देवी पत्नी बहादुर जाति गुर्जर निवासी धान्या का बंध भाण्डारेज जिला दौसा

बनाम

1. जयसिंह पुत्र रामजीलाल
2. माधोसिंह पुत्र रामजीलाल
3. जरिये शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखाा गुढलिया जिला दौसा
4. जरिये शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा दौसा जिला दौसा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील बांदीकुई जिला दौसा

दावा तकास्मा

मुकदमा नं.–72 / 2023 सन्–2023

निर्णय दिनांक 22.01.2025

वादी द्वारा वाद पत्र दावा तकास्मा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि भूमि खाता संख्या नया 90 पुराना 34 के आराजी खसरा नं. 36 रकबा 7.67 हैक्टेयर बंजड कुल किता 01 कुल रकबा 7.67 हैक्टेयर स्थित है। भूमि वादग्रस्त वादियागण व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की भूमि है। जिसमें वादिया सुमन का हिस्सा 35525 / 167202 व वादिया बच्ची का हिस्सा 25 / 218 की खातेदार काश्तकार है। वादियागण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। भूमि वादग्रस्त के सभी सहखातेदारान ने मौके पर अपने हिस्से अनुसार बहामी तौर पर बंटवारा कर रखा है और मौके पर काबिज काश्त है। वादियागण प्रत्येक अपने–अपने हिस्से की भूमि का विधिवत बंटवारा करवाने की कानूनन हकदार है। भूमि विवादग्रस्त का विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण वादियागण को अनेको परेशानियों का सामना करना पड रहा है। वादियागण को अपने हिस्से की भूमि पर भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली कृषि सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सभी सहखातेदारान की सहमति की आवश्यकता पडती है तथा वादियागण अपनी–अपनी भूमि में सुधार भी नहीं कर पा रही है। इस कारण वादियागण प्रत्येक अपने–अपने हिस्से की भूमि का विधिवत सरस–नरस के अनुसार, रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विधिवत बंटवारा करवा कर अपने हिस्से की आराजियात

Scanned with OKEN Scanner

का खाता पर्चा अलग–अलग कायम करवाने के अधिकारिणी है। वादियागण ने प्रतिवादीगण से भूमि का सरस–नरस के अनुसार विधिवत बंटवारा करवाने के लिए दिनांक 03.06.2023 को कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इंकार कर दिया। इस कारण वादियागण के पास भूमि वादग्रस्त का विधिवत सरस–नरस के अनुसार तकास्मा करवाने के लिए दावा पेश करना ही मात्र एक विकल्प बचा है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि दावा वादियागण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे कि भूमि वादग्रस्त वाके ग्राम चांदनवास पटवार हल्का गादरवाडा गूजरान में भूमि खाता संख्या नया 90 पुराना 34 के आराजी खसरा नं. 36 रकबा 7.67 हैक्टेयर बंजड कुल किता 01 कुल रकबा 7.67 हैक्टेयर वार्षिक लगानी 15/रू 34 पैसे स्थित है का सरस–नरस अनुसार रास्ते व आवागमन को ध्यान में रखते हुए वादियागण प्रत्येक के हिस्से अनुसार विधिवत बंटवारा किया जावे तथा वादियागण प्रत्येक का अलग खाता पर्चा एवं लगान का निर्धारण किया जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 बावजूद रजिस्टर्ड एडी तामील उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादियागण वकील द्वारा वाद को प्राथमिक डिकी किये जाने बाबत निवेदन किये जाने पर वादी वाद प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार बॉदीकुई को कुरैजात प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांकः 8734 दिनांकः 27.12.2024 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये।

वादीयागण द्वारा दिनांक 20.01.2025 को प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 एवं धारा 151 जा.दी का पेश कर अवगत करवाया कि वादीगण का दूसरा खाता खसरा नं. 461/223 रकबा 1.05 हैक्टे. वाके रामा चांदनवास तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है जो कि उस समय पेश होने से सहवन से रह गया। दोनो खातो में पक्षकार एक समान है इसलिये निवेदन है कि भूमि खसरा नं. 461/223 रकबा 1.05 हैक्टे. वाके रामा चांदनबास तहसील बांदीकुई का तकास्मा उक्त प्रकरण के साथ किया जाना न्यायोचित है इसलिये उक्त प्रकरण में संसोधन किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सहवन से जो भूमि खसरा नं. 461/223 रकबा 1.05 हैक्टे. वाके रामा चांदनबास जिला दौसा में स्थित है का तकास्मा उक्त प्रकरण के साथ किया जाकर उक्त प्रकरण में संशोधन करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है जिससे पक्षकारों के दोनो खातों का एकसाथ विधिवत तकास्मा किया जा सकें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वादियागण वकील को सुना। प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा प्राथमिक डिकी की पालना में कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जा चुके हैं। वादीयागण द्वारा प्रार्थना पत्र विलंब से पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण में इस स्तर पर संशोधन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन से वादियागण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादियागण प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 एवं धारा 151 जा.दी. पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव का वादियागण वकील द्वारा अवलोकन किया गया। एवं प्राप्त कुरैजात अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया तथा सहमति प्रकट की। हमने प्राप्त कुरैजात का अवलोकन किया। प्राप्त कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाकर वादीगण वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है–

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टियॉ	प्रस्तावित प्रविष्टिया कुरैजात अनुसार				
नाम खातेदार	क्रम सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
जयसिंह पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) बी.ओ.बी. शाखा गुढलिया, जयसिंह पुत्र रामजीलाल हिस्सा 5/218 जाति गुर्जर सा. देह, बच्ची देवी पत्नि बहादुर हिस्सा 25/218 जाति गुर्जर सा. धान्या का बंध भांडारेज खातेदार राहिन हिस्सा 25/218 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा दौसा, माधोसिंह पुत्र रामजीलाल हिस्सा 12534/83603 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 12534/83603 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा	1	बच्ची देवी पत्नि बहादुर हि. 87/248 जाति गुर्जर सा. धान्या का बंध भाण्डारेज राहिन हिस्सा 87/248 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सुमन देवी पत्नि कालूसिंह हिस्सा 161/248 जाति गुर्जर सा. सुमेलकलां खातेदार राहिन हिस्सा 161/248 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा दौसा	36/1	2.48	बंजड
			किता 01	**कुल रकबा 2.48**	**बंजड**
	2	जयसिंह पुत्र रामजीलाल हि. 378/509 जाति गुर्जर सा. देह राहिन 378/509 (पूर्ण खाता) बी.ओ.बी. शाखा गुढलिया, जयसिंह पुत्र रामजीलाल हि. 18/509 जाति गुर्जर सा. देह माधोसिंह पुत्र रामजीलाल हिस्सा 113/509 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार राहिन हि. 113/509 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा दौसा	36/2	5.09	बंजड

Scanned with OKEN Scanner

दौसा, सुमन देवी पत्नि कालूसिंह हिस्सा 35525/167206 जाति गुर्जर सा. सुमेलकलां खातेदार राहिन हि. 35525/167206 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा दौसा			**किता 01**	**कुल रकबा 5.09**	**बंजड**
	3	सामलाती खातेदार मुताबिक खाता संख्या 90	36/3	0.10	बंजड
			किता 01	**कुल रकबा 0.10**	**बंजड**

कुरैजात, निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करें। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांकः 22.01.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

22/1/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बॉदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/01/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील वादियागण उप० पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में तहसीलदार की कुर्क रिपोर्ट पत्रांक 8734 दिनांक 27/1/24 द्वारा कुर्क जात हो होकर पत्रावली में संलग्न है। वादीगण द्वारा जरिये वकील श्री श्याम सुन्दर के प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 एवं धारा 151 जा.दी. का पेश किया। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 24/01/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
24/01/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादियागण उप० प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 एवं धारा 151 जा.दी. पर वकील वादियागण द्वारा बहस की गयी। हमने वकील वादियागण बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। बहस वकील वादियागण पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 एवं धारा 151 जा.दी. इस स्तर पर स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली में प्राप्त कुर्क जात, पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों तथा वादियागण वकील बहस पर मनन करने के आधार पर वादियागण वाद दावा तजवीज स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 24/1/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	